# विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

# XIIवीं योजना (2012–2017) के दौरान भवन निर्माण के लिए महाविद्यालयों को दी जाने वाली विकास सहायता की योजना संबंधी दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002
वेबसाइट : www.ugc.ac.in

# विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

# XIIवीं योजना (2012–2017) के दौरान भवन निर्माण के लिए महाविद्यालयों को दी जाने वाली विकास सहायता की योजना संबंधी दिशानिर्देश

## 1. प्रस्तावना

किसी भी संस्था में शिक्षा की गुणवत्ता काफी हद तक बुनियादी सुविधाओं, मुख्यतः भवन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। महाविद्यालयों के लिए सीमित संसाधनों से नए भवन बनाना या विद्यमान भवनों की मरम्मत करना कठिन होता है। विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण/मरम्मत में महाविद्यालयों की सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सामान्य विकास सहायता के भाग के रूप में प्रत्येक योजना अवधि में महाविद्यालयों को अनुदान देता है। महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए सामान्य विकास सहायता के 50 प्रतिशत तक का उपयोग कर सकता है।

## 2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य भवन के निर्माण तथा भवन की मरम्मत/विस्तार (विद्यमान भवन का) अर्थात कक्षा के कमरों, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रशासनिक ब्लॉक, स्टाफ क्वाटर्स, छात्रावास और अन्य भवन आदि के लिए महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता देना है। महाविद्यालयों को यह सहायता "विकास सहायता" की योजना के अधीन दी जाती है। इसका उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं के समेकन और विस्तार में महाविद्यालयों को सहायता देना है।

## 3. पात्रता/लक्ष्य समूह

प्रत्येक महाविद्यालय के लिए यह आवश्यक होगा कि वह दो बैचों के पास होने या छरु माह, इनमें से जो भी पहले हो, के बाद महाविद्यालय को प्रत्यायन एजेंसी से प्रत्यायित करवाए। जिन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग द्वारा रखी जाने वाली महाविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया हो वे इस सहायता के पात्र होंगे।

## 4. इस योजना के अधीन उपलब्ध सहायता का प्रकार :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग "पूंजीगत परिसंपत्तियों (35)" के अधीन अनुमोदित सहायता की अधिकतम सीमा के अंदर 100 प्रतिशत के आधार पर भवन के निर्माण/मरम्मत/विस्तार (विद्यमान भवन का) के लिए वित्तीय सहायता देगा।

महाविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे रैंप, रेल और विशेष शौचालय जैसी विशेष सुविधाओं का सृजन करेंगे और विकलांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकता के अनुकूल उनमें अन्य आवश्यक परिवर्तन करेंगे।

## 5. इस योजना के अधीन आवेदनपत्र देने की प्रक्रिया :

5.1 भवन समिति और इसका गठन : महाविद्यालय निम्नलिखित सदस्यों की एक भवन समिति का गठन करेगा :

(क) महाविद्यालय का प्रधानाचार्य/प्रभारी अध्यापक

(ख) उप–प्रधानाचार्य (यदि नियुक्त किया गया हो)

(ग) संबद्ध विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि।

(घ) सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/जिला परिषद्/निगम आदि का एक प्रतिनिधि (जिसका स्तर कम से कम सहायक इंजीनियर के बराबर हो)।

(ङ) महाविद्यालय के अध्यापकों के दो प्रतिनिधि। स्टाफ क्वार्टरों के मामले में गैर–शिक्षण कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(च) प्रयोक्ता–शिक्षण विभाग (विभागों) का एक प्रतिनिधि।

(छ) प्रशासन और लेखा प्रभाग का एक–एक प्रतिनिधि।

(ज) महाविद्यालय द्वारा नियुक्त वास्तुविद्। यह वास्तुविद् परिषद् के पास पंजीकृत होना चाहिए।

भवन समिति की बैठक के दौरान इंजीनियर या वास्तुविद् की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

5.2 भवन समिति महाविद्यालय द्वारा निर्माण किए जाने वाले भवन की योजना को अंतिम रूप देने और अनुमान तैयार करने तथा अनुबंध I, II और III में निर्धारित दस्तावेजों की संवीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगी और यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगी कि अंतिम योजना और अनुमानों के अनुसार भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। इसके अलावा, यह समिति विश्वविद्यालय, भारत सरकार से और महाविद्यालय के अपने संसाधनों से प्राप्त निधियों के उचित उपयोग के लिए जिम्मेदार होगी।

## 6. भवन परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया

भवन परियोजनाओं को अनुमोदित करने से पहले भवन समिति निम्नलिखित दस्तावेजों का सत्यापन करेगीः

6.1 प्रस्तावित भवन परियोजना का भवन योजना और विस्तृत अनुमान, जिन्हें योग्यताप्राप्त इंजीनियर/पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार किया गया हो और हस्ताक्षरित किया गया हो और जिनपर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रभारी अध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए हों। निचले तल में रैंपों और शौचालयों की भवन में व्यवस्था की जाएगी ताकि विकलांग (शारीरिक रूप से विकलांग) व्यक्तियों द्वारा उसका उपयोग किया जा सके।

6.2 संपूर्ण अनुमानों का सार और दर अनुरूपता प्रमाणपत्र, जिसपर प्रधानाचार्य और योग्यताप्राप्त इंजीनियर/पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों **(अनुबंध–I)**।

6.3 स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा योजना का अनुमोदन।

6.4 भवन परियोजना प्रमाणपत्र **(अनुबंध–II)**।

6.5 उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर, भवन समिति इस प्रस्ताव पर कार्रवाई करेगी और भवन परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी।

6.6 भवन समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से भवन परियोजनाओं पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित करने के बाद महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगाः

भवन समिति का प्रस्ताव, जिसमें भवन परियोजना के नाम, भवन का प्रकार, वर्गमीटर में कवर्ड एरिया, प्रति वर्ग मीटर लागत, अनुमानों का आधार, दरों की अद्यतन अनुसूची, परियोजना को पूरा किए जाने की अवधि, निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावित तारीख और निर्माण के तरीके का उल्लेख किया जाएगा (इसमें राज्य पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी के पास यह महाविद्यालय द्वारा अथवा ठेकेदार/प्राइवेट निर्माण एजेंसी के पास जमा कार्य का भी उल्लेख किया जाएगा)।

भवन समिति का इस आशय का प्रमाणपत्र कि भवन की अनुमोदित योजना और अनुमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हैं और दरें क्षेत्र की सीएसआर के अनुसार हैं तथा निर्माण कार्य दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है और इसमें राज्य सरकार के वित्तीय नियमों का सख्ती से पालन किया गया है।

भवन समिति के प्रस्ताव और प्रमाणपत्र पर भवन समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

## 7. निर्माण का तरीका

7.1 महाविद्यालय का भवन समिति द्वारा अनुमोदित भवन परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प अपनाएगा, जिसमें उनकी योजना, वास्तुविद् संबंधी डिजाइन, संरचना संबंधी डिजाइन तैयार करना, अनमानों को तैयार करना और निर्माण कार्य भी शामिल होगा। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिक से अधिक दो एजेंसियों को योजना तैयार करने और कार्य के निष्पादन के काम पर लगाया गया है।

(क) यथास्थिति योजना तैयार करने, वास्तुविद् संबंधी डिजाइन तैयार करने, संरचना संबंधी डिजाइन तैयार करने, अनुमान तैयार करने और निर्माण कार्य करने का कार्य पूर्णतः सीपीडब्ल्यूडी, राज्य पीडब्ल्यूडी या किसी अन्य सरकारी एजेंसी/सरकारी क्षेत्र उपक्रम को सौंपा जा सकता है।

या

(ख) वास्तुविद् (जो वास्तुकला परिषद् के पास पंजीकृत हो) वास्तुविद् संबंधी डिजइान तैयार कर सकता है। वास्तुविद् के चयन के लिए एक राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र और स्थानीय दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापन देकर आवेदनपत्र आमंत्रित किए जा सकते हैं। भवन समिति उनका अंतिम रूप से चयन करेगी।

अथवा

(ग) कार्य का निष्पादन महाविद्यालय द्वारा स्वयं किया जा सकता है, बशर्ते कि वह कार्य के पर्यवेक्षण के लिए सक्षम और प्राधिकृत व्यक्तियों की नियुक्ति करे। अनुमान तैयार करते समय वास्तुविद्/इंजीनियर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी की विशिष्टियों और अनुसूचियों पर आधारित हैं। अनुमानों में सीपीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी की अनुसूची की संगत मद संख्या का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर अनुमान तैयार किए गए हैं और जिस पंजीकृति वास्तुविद्/इंजीनियर ने ये अनुमान तैयार किए हैं, उसे यह प्रमाणित करना चाहिए कि वे सीपीडब्ल्यूडी या संबंधित पीडब्ल्यूडी की दर अनुसूची के अनुसार हैं।

7.2 यदि महाविद्यालय का संपूर्ण कार्य या कार्य के भाग को यथा योजना तैयार करने, संरचना संबंधी डिजाइन तैयार करने, अनुमान तैयार करने और उसका निष्पादन करने का कार्य ठेकेदार के माध्यम से करना चाहता है तो ऐसा टेंडर आमंत्रित करके किया जा सकता है। महाविद्यालय निर्माण परियोजना शुरू करने के लिए एक राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र और स्थानीय दैनिक समाचारपत्र में टेंडर सूचना दे सकता है। सामान्यतः न्यूनतम बोलीदाता का टेंडर स्वीकार किया जाता है और यदि न्यूनतम बोलीदाता का टेंडर स्वीकार नहीं किया जाता है तो महाविद्यालय द्वारा इसके संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाएगा। कार्य सौंपे जाने के तीन माह के अंदर आयोग को सूचना दी जाएगी और इस सूचना में निम्नलिखित बातें शामिल होंगीः

1. उन अनुमानों का मूल्य, जिनके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे;
2. प्राप्त टेंडरों की संख्या;
3. न्यूनतम टेंडर का मूल्य;
4. स्वीकृत टेंडर का मूल्य; और
5. यदि न्यूनतम टेंडर स्वीकार नहीं किया गया हो तो विशिष्ट कारण।

विस्तृत अनुमानों और टेंडर की स्वीकृति को उस बैठक में भवन समिति के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें इंजीनियारी और वास्तुविद् संबंधी पृष्ठभूमि के कम से कम दो प्रतिनिधि अवश्य होने चाहिए। संबंधित संस्था के प्रमुख द्वारा भी इसे प्रमाणित किया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा जाना चाहिए।

7.3 यदि सीपीडब्ल्यूडी या राज्य पीडब्ल्यूडी या समकक्ष सरकारी एजेंसी या सरकारी क्षेत्रक उपक्रम द्वारा जमा कार्य के रूप में या महाविद्यालय द्वारा स्वयं निर्माण कार्य किया जाता है तो टेंडर संबंधी सूचना अपेक्षित नहीं होती है।

## 8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 6(6) में उल्लिखित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहली किस्त के रूप में अनुदान का 50 प्रतिशत जारी करेगा।

भवन के लिए निर्धारित अनुदान के 50 प्रतिशत का उपयोग करने के पश्चात महाविद्यालय प्रगति रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षित व्यय विवरण प्रस्तुत करेगा **(अनुबंध–III और IV)**।

भवन परियोजना पूरी करने के बाद महाविद्यालय समपन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिनमें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगेः

1. अंतिम लागत, यदि कोई हो, को दर्शाने वाला संशोधित अनुमान।
2. कुल लागत के संबंध में लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र **(अनुबंध–III)**।
3. लेखापरीखित आय और व्यय **(अनुबंध–III)**।
4. लेाापरीक्षित परिसंपत्ति पमाणपत्र **(अनुबंध–V)**।
5. समापन प्रमाणपत्र/दस्तावेज, जिस पर प्रधानाचार्य (प्रभारी अध्यापक या उप–प्रधानाचार्य) और योग्यताप्राप्त इंजीनियर और/या पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों **(अनुबंध–VI)**।
6. बाह्य और आंतरिक दृश्य (दृश्यों) को दर्शाने वाले फोटोग्राफ।

**अनुबंध–I**

## दर अनुरूपता प्रमाणपत्र और लागत का सार

प्रमाणित किया जाता है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ..... (महाविद्यालय का नाम) में ..... (भवन का नाम) के प्रस्तावित निर्माण के लिए दिए गए अनुमान वर्ष ..... में उस क्षेत्र की पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी की दरों की वर्तमान अनुसूची के आधार पर तैयार किए गए हैं।

**योग्यताप्राप्त इंजीनियर*/पंजीकृत वास्तुविद्****
**के हस्ताक्षर और मुहर**
**नाम और पुरा पता (स्पष्ट अक्षरों में)**

## लागत का सार

योजना में उल्लिखित कुल प्लिंथ एरिया :
योजना में उल्लिखित कुल निर्मित क्षेत्र :
लागत प्रति वर्ग मीटर :

रकम

(क) सिविल निर्माण कार्य की लागत
(पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी की दरों की वर्तमान सूची के अनुसार) रु.....

(ख) जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी संस्थापन
(सिविल निर्माण कार्य की लागत के 7.5 प्रतिशत की दर से) रु.....

(ग) 10 प्रतिशत की दर से विद्युतीकरण
(पंखों के बिना) या 12.5 प्रतिशत की दर से (पंखों सहित) रु.....

| | | |
|---|---|---|
| | {सिविल निर्माण कार्य का 15 प्रतिशत पुस्तकालय के लिए (पंखों सहित)} | रु..... |
| (घ) | बाह्यय सेवाएं (सिविल निर्माण कार्य की लागत के 5 प्रतिशत की दर से) | रु..... |
| | **जोड़** | **रु.....** |
| (ङ) | आकस्मिक व्यय (उपर्युक्त क के 3 प्रतिशत की दर से) | रु..... |
| (च) | पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी के सत्यापन प्रभार (सिविल निर्माण कार्य की लागत का 0.5 प्रतिशत, परंतु यह तब जबकि योजना और अनुमान पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर द्वारा तैयार नहीं किया गया हो) | रु..... |
| (छ) | पर्यवेक्षण प्रभारों आदि सहित वास्तुविद् का शुल्क (सिविल निर्माण कार्य की लागत के 5 प्रतिशत तक) | रु..... |
| (ज) | छात्रावासों के लिए फर्नीचर (छात्रावासों की प्रति सीट के अनुसार एक चारपाई, एक पठन मेज और एक कुर्सी की वास्तविक लागत) | रु..... |
| | **कुल जोड़** | **रु.....** |

**प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मुहर**

**योग्यताप्राप्त इंजीनियर*/पंजीकृत वास्तुविद्****
**के हस्ताक्षर और मुहर**
**नाम और पुरा पता (स्पष्ट अक्षरों में)**

*सरकारी विभाग/उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम आदि)/विश्वविद्यालय में नियोजित कम से कम सहायक इंजीनियर के स्तर का इंजीनियर।

**यदि वास्तुविद् वास्तुकला परिषद् के पास पंजीकृत है तो उसके पंजीकरण संख्या और उसके पूरे पते का उल्लेख किया जाए।

**अनुबंध–II**

# भवन परियोजना संबंधी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

(क) जिस भूखंड पर प्रस्तावित भवन का निर्माण किया जाना है वह महाविद्यालय/न्यास/समिति के विवादरहित स्वामित्व का है और उसके कब्जे में है (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

(ख) अप्रतिसंहरणीय प्रस्ताव, विधिवत पंजीकृत है और यह कि जिस भूखंड पर भवन का निर्माण किया जाएगा, उसे महाविद्यालय के एकमात्र उपयोग के लिए चिह्नित किया गया है क्योंकि यह भूखंड समिति/न्यास के नाम में है (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

(ग) जिस भूखंड पर भवन का निर्माण किया जाना है, वह कम से कम 33 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर है(जो लागू न हो, उसे काट दें) ।

(घ) प्रस्तावित निर्माण कार्य राज्य पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी या महाविद्यालय/टेंडरदाता द्वारा जमा कार्य के रूप में निष्पादित किया जाएगा (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से अधिक व्यय, यदि कोई हो, महाविद्यालय द्वारा अपने संसाधनों से पूरा किया जाएगा और निधियों की कमी के कारण निर्माण कार्य में विलंब नहीं किया जाएगा।

(च) यदि भवन के विद्यमान ढांचे के ऊपर निर्माण कार्य किया जा रहा हो (विस्तार किया जा रहा हों) तो प्रस्तावित भवन के भार सहने के लिए ढांचा उपयुक्त है।#

(ज) यदि भूतल से नया निर्माण किया जाता है तो योग्यताप्राप्त इंजीनियर से मृदा संबंधी रिपोर्ट#

(झ) प्रस्तावित निर्माण के लिए महाविद्यालय ने पहले किसी अनुदान का लाभ नहीं उठाया है।

(ञ) यह परियोजना समय पर पूरी कर ली जाएगी ..... आबद्ध तरीके से ..... ..... महा में पूरी कर ली जाएगी।

**प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर**

**और मुहर**

#योग्यताप्राप्त इंजीनियर*/पंजीकृत वास्तुविद्** द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र संलग्न करें।

*सरकारी विभाग/उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम आदि)/विश्वविद्यालय में नियोजित कम से कम सहायक इंजीनियर के स्तर का इंजीनियर।

**यदि वास्तुविद् वास्तुकला परिषद् के पास पंजीकृत है तो उसके पंजीकरण संख्या और उसके पूरे पते का उल्लेख किया जाए।

**अनुबंध–III**

## लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा आय और व्यय का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र सं..... दिनांक . ..... के जरिए ..... के लिए ..... को स्वीकृत ..... ..... रुपए (..... रुपए) के अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था और आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया गया है।

यदि जांच या लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामतः बाद में कोई अनियमितता ध्यान में आती है तो उस रकम की वापसी, उसके समायोजन या उसे विनियमित करने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

**प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मुहर**

**सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक के हस्ताक्षरर और मुहर**

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र सं..... दिनांक ..... के जरिए अनुमोदित ..... (भवन परियोजना का नाम) के आय और व्यय का लेखापरीक्षित विवरण**

| | |
|---|---|
| 1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान ..... | 1. सिविल निर्माण कार्य ..... |
| 2. राज्य/केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान ..... | 2. जल आपूर्ति और संस्थापन ..... |
| 3. महाविद्यालय का अंशदान ..... | 3. विद्युतीकरण ..... |
| 4. अन्य, यदि कोई हो ..... | 4. बाह्य सेवाएं ..... |
| 5. विश्वविद्याल अनुदान आयोग के अनुदान से अर्जित ब्याज ..... | 5. आकस्मिक व्यय ..... |
| | 6. वास्तुविद् का शुल्क ..... |

7. फर्नीचर, यदि कोई हो .....

8. पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी के सत्यापन प्रभार, यदि कोई हों .....

**जोड :** ..... **जोड :** .....

**प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मुहर**

**सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक के हस्ताक्षरर और मुहर**

**अनुबंध–IV**

## निधियां जारी करने के लिए प्रगति रिपोर्ट

1. योजना का नाम :

2. योजना को अनुमोदित करने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वीकृत पत्र की संख्या और तारीख :

3. अनुमोदित कुल लागत :

   (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का हिस्सा :

   (ख) महाविद्यालय/राज्य/केंद्र सरकार का हिस्सा :

4. स्वीकृत टेंडर की कुल लागत :

5. प्राप्त कुल रकम :

   (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से; और

   (ख) उपर्युक्त 3 के अनुसार महाविद्यालय/राज्य/केंद्र सरकार से

6. किए गए वास्तविक व्यय का जोड़ अर्थात किए गए कार्य या प्राप्त आपूर्तियों के लिए प्रदत्त बिल :

   (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हिस्से से; और

   (ख) महाविद्यालय/राज्य/केंद्र सरकार के हिस्से से

7. प्राप्त रकम में से शेष रकम, यदि कोई हो :

   (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हिस्से से; और

   (ख) महाविद्यालय/राज्य/केंद्र सरकार के हिस्से से

8. जिस रकम को जारी किया जाना है, वह उस व्यय को पूरा करने के लिए है, जिसे अगले 3/6 माह में खर्च किए जाने की संभावना है।

9. यदि इस परियोजना में निर्माण कार्य किया जाना हो तो अब तक पूरे किए गए निर्माण कार्य का विवरण दिया जाए और यह प्रमाणित किया जाए कि निर्माण कार्य आयोग द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार किया जा रहा है।

10. यदि कोई विचलन किया गया हो तो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। निर्माण की लागत पर उसके प्रभाव का भी उल्लेख करें।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था और आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया गया है।

यदि जांच या लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामतः बाद में कोई अनियमितता ध्यान में आती है तो उस रकम की वापसी, उसके समायोजन या उसे विनियमित करने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

**योग्यताप्राप्त इंजीनियर*/पंजीकृत वास्तुविद्**** **प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर**

**के हस्ताक्षर और मुहर** **और मुहर**

**नाम और पुरा पता (स्पष्ट अक्षरों में)**

योग्यताप्राप्त इंजीनियर*/पंजीकृत वास्तुविद्** द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र संलग्न करें।

*सरकारी विभाग/उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम आदि)/विश्वविद्यालय में नियोजित कम से कम सहायक इंजीनियर के स्तर का इंजीनियर।

**यदि वास्तुविद् वास्तुकला परिषद् के पास पंजीकृत है तो उसके पंजीकरण संख्या और उसके पूरे पते का उल्लेख किया जाए।

**विशेष टिप्पणी :** इसमें ऐसी कोई रकम शामिल न की जाए, जो दिए गए आदेश या संभावित आदेश, ऐसी विशिष्ट मद के संबंध में दर्ज प्रतिबद्धता या चिन्हित रकम हो, जिसे भविष्य में प्राप्त किया जाएगा (खंड 6)।

**अनुबंध–V**

# विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
## परिसंपत्ति संबंधी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ..... (कृपया प्रयोजन का उल्लेख करें) के लिए दिए गए अनुदान से पूर्णतः या मुख्यतः सृजित और अधिगृहीत स्थायी या अर्ध–स्थायी परिसंपत्तियों की माल–सूचियां निर्धारित फार्म में रखी जा रही हैं और उन्हें अद्यतन रखा जा रहा है।

**प्रधानचार्य के हस्ताक्षर**
**(मुहर सहित)**

**सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक के**
**हस्ताक्षर (मुहर सहित)**

**अनुबंध–VII**

# विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

## समापन प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (महाविद्यालय का नाम) में ..... ..... (भवन का नाम) ..... रुपए की लागत से संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया गया है। यह कार्य पूर्णतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार है और इसे बिना किसी परिवर्तन के पूरा किया गया है। कार्यस्थल को उचित रूप से साफ कर दिया गया है।

**प्रधानचार्य के हस्ताक्षर**
**(मुहर सहित)**

**योग्यताप्राप्त इंजीनियर*/पंजीकृत वास्तुविद्****
**हस्ताक्षर (मुहर सहित)**

*सरकारी विभाग/उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम आदि)/विश्वविद्यालय में नियोजित कम से कम सहायक इंजीनियर के स्तर का इंजीनियर।

**यदि वास्तुविद् वास्तुकला परिषद् के पास पंजीकृत है तो उसके पंजीकरण संख्या और उसके पूरे पते का उल्लेख किया जाए।

**टिप्पणी :** उपर्युक्त प्रमाणपत्र में भवन परियोजना की कुल समापन लागत का उल्लेख किया जाना चाहिए।

इसके संबंध में पहले ही प्राप्त निधियों का समायोजन करना होगा। स्वीकृत अनुमान/टेंडर के संबंध में समापन लागत में हुए घट–बढ़ के कारणों का उल्लेख किया जाए ताकि वृद्धि/कमी, यदि कोई हो, को उचित ठहराया जा सके।